न्यायालय अपर सिविल जज/न्या0 मजि0 खुर्जा, बुलन्दशहर।
मुकदमा वाद स0–1534/2023
मुकदमा अपराध सं0–40/2023
सरकार बनाम प्रिन्स।
थाना– जहॉगीरपुर, जनपद, बुलन्दशहर

आरोप

मैं, यज्ञेश कुमार सोनकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (अ0ख), खुर्जा, बुलन्दशहर, एतद्धारा आप अभियुक्त प्रिन्स को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ।

यह कि दिनांक 09.05.2023 को समय करीब 23:35 बजे स्थान कलाखोरी नहर पुलिया माचन्ड से 200 कदम की दूरी पर, अन्तर्गत थाना क्षेत्र जहॉगीरुपर, जिला बुलन्दशहर में आपको पुलिस दल गिरफ्तार किया गया और तलाशी लेने पर आपके कब्ज से 42 पव्वे देशी शराब मिस इण्डिया मार्का बरामद हुई जिसे रखने का आपके पास वैध अनुज्ञापत्र नहीं था। इस प्रकार आपने आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है। जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्धारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–16.07.2024

(यज्ञेश कुमार सोनकर)
अपर सिविल जज/न्या0 मजि0
खुर्जा, बुलन्दशहर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण चाहा।

दिनांक–16.07.2024

(यज्ञेश कुमार सोनकर)
अपर सिविल जज/न्या0 मजि0
खुर्जा, बुलन्दशहर।

Digitally signed by YAGYESH KUMAR SONKAR
Date: 2024.07.18 11:04:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court